मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVI अंक 8 फरवरी 2021

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	2
III. पर्यवेक्षण	3
IV. भुगतान एवं निपटान प्रणाली	3
V. विदेशी मुद्रा	3
VI. वित्तीय बाजार	4
VII. वित्तीय समावेशन	4
VIII. रिपोर्ट	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका फरवरी माह में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in के साथ-साथ क्यूआर कोड स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5 फरवरी 2021 को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो- कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

चलनिधि उपाय

❑ *मांग पर टीएलटीआरओ योजना* : एनबीएफसी का समावेश: दिनांक 11 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2020-2021 / 763 के अनुसार यह प्रस्तावित है कि मांग पर लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के तहत बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निधि प्रदान की जाए ताकि क्षेत्र को वृद्धिशील ऋण प्रदान किया जा सके। अंतिम मील तक ऋण पहुंचाने के लिए अच्छी तरह पहचाने गए वाहिका और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का विस्तार करने में बल गुणक के रूप में कार्य करने लिए एनबीएफ़सी द्वारा निभाए गए महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में 05 फरवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

❑ *सीआरआर की बहाली*: रिज़र्व बैंक ने सीआरआर को निर्बाध रूप में दो चरणों में धीरे-धीरे बहाल करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को 27 मार्च 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सीआरआर को अपने निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के 3.5 प्रतिशत और 22 मई 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी एनडीटीएल के 4.0 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

❑ *एमएसएफ़ :* छूट का विस्तार: रिज़र्व बैंक ने एमएसएफ़ छूट को छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विनियमन और पर्यवेक्षण

❑ *परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में एसएलआर धारिता* : रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के बीच अधिग्रहित प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए 31 मार्च 2023 तक 22 प्रतिशत की संवर्धित परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के वितरण को बढ़ाने का निर्णय लिया।

❑ *एमएसएमई उद्यमियों को ऋण* : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सीआरआर की गणना के लिए अपने एनडीटीएल से 'नए एमएसएमई उधारकर्ताओं' को दिए गए ऋण में कटौती करने की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को सभी एससीबी को सूचित किया कि वे एक पखवाड़े के अंत में दिनांक 1 जुलाई 2015 को जारी आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी मास्टर परिपत्र के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्राप्त छूट की रिपोर्ट करें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

❑ *बासेल III पूंजी विनियमन* : रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक 0.625 प्रतिशत के पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

❑ *एनएसएफ़आर के कार्यान्वयन का विचलन* : रिज़र्व बैंक ने COVID-19 के कारण जारी तनाव के मद्देनजर 1 अक्टूबर 2021 को निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, एनएसएफआर दिशानिर्देश 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

❑ *व्यष्टि वित्त के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा* : रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- व्यष्टि वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया।

❑ *एक विशेषज्ञ समिति का गठन :* रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक मध्यम अवधि का रोड मैप प्रदान करने हेतु, यूसीबी के त्वरित पुनर्वास/समाधान को सक्षम बनाने के साथ-साथ इन संस्थाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने के लिए सभी शहरी हितधारकों को शामिल करते हुए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) से संबंधित एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया।

❑ *एलआरएस के तहत आईएफ़एससी का विप्रेषण* : रिज़र्व बैंक ने उदारीकरण विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) के लिए निवासी व्यक्तियों को विप्रेषण की अनुमति देने का निर्णय लिया।

वित्तीय बाजार में गहनता लाना

❑ *खुदरा निवेशकों को गिल्ट खाते खोलने के लिए अनुमति देना* : रिज़र्व बैंक ने एग्रीगेटर मॉडल से आगे बढ़ने और खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार - प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के साथ उनके गिल्ट प्रतिभूति खाता ('रिटेल सीधे') खोलने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया।

❑ *चूक(डिफॉल्टेड) बॉन्ड्स में एफपीआई निवेश* : विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश कर सकते हैं और डिफॉल्टेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स में एफपीआई निवेश को अल्पकालिक सीमा और मध्यम अवधि ढांचे के तहत न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अपेक्षाओं से छूट प्रदान किया जाएगा।

भुगतान और निपटान प्रणाली

❑ *24x7 हेल्पलाइन की स्थापना* : विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों के संबंध में ग्राहक के प्रश्नों को संबोधित करने और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी देने के लिए प्रमुख भुगतान प्रणाली परिचालकों को सितंबर 2021 तक एक केंद्रीकृत उद्योग-व्यापी 24x7 हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

❑ *अधिकृत भुगतान प्रणालियों के परिचालकों और प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देश* : आउटसोर्सिंग में अनुवर्ती जोखिमों का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान और निपटान संबंधित सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते समय आचार संहिता का पालन किया जाता है, रिज़र्व बैंक प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटरों और प्रतिभागियों को दिशानिर्देश जारी करेगा।

❑ *सीटीएस समाशोधन में भागीदारी को सक्षम करना* : यह देखा गया है कि लगभग 18,000 बैंक शाखाएं अभी भी किसी भी औपचारिक समाशोधन व्यवस्था से बाहर हैं। कागज आधारित समाशोधन में परिचालन दक्षता लाने और चेक के संग्रह और निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ताकि ग्राहक सेवा बेहतर हो सके, ऐसी सभी शाखाओं को सितंबर 2021 तक चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) समाशोधन तंत्र के तहत लाने का प्रस्ताव है।

ग्राहक संरक्षण

❑ *एकीकृत लोकपाल योजना* : रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ शिकायत निवारण के लिए तीन लोकपाल योजनाओं के एकीकरण को लागू करने, और एक देश एक लोकपाल के दृष्टिकोण को अपनाने का निर्णय लिया।

पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

यूएफ़सीई के साथ संस्थाओं के लिए एक्सपोजर

रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं जिसमें खातों को अंतिम रूप देने से पहले इस तरह की जानकारी के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध के कारण वर्तमान तिमाही के लिए सूचीबद्ध संस्थाओं से आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफ़सीई) प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 17 फरवरी 2021 को निर्णय लिया कि बैंक, यूसीएफई के मामले में, पूंजी की गणना करने और प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तिमाही से संबंधित डाटा का उपयोग कर सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति

रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2021 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के हालिया संशोधनों के अनुसार मुद्दों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए यूसीबी पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की घोषणा की। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता श्री एन.एस. विश्वनाथन, रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर द्वारा किया जाएगा। समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होंगी:

❑ यूसीबी के संबंध में रिज़र्व बैंक और अन्य प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए विनियामक उपायों की जांच करना।

❑ वर्तमान विनियामक / पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करना और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उचित उपाय / संशोधन की स्वीकृति करना।

❑ यूसीबी के तेजी से पुनर्वास / समाधान के लिए प्रभावी उपाय सुझाना और क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन करना।

❑ विभेदक नियमों की आवश्यकता पर विचार करना और अधिक छूट अनुमति प्रदान करने के लिए संभावनाओं की जांच करना।

❑ जीवंत और लचीला शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करना।

समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

निदेशकों को ऋण और अग्रिम

रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को सभी यूसीबी के प्रमुखों को सूचित किया कि यूसीबी को जारी किए गए विषय पर मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") को ध्यान में रखते हुए की गई है। जारी किए गए संशोधित निदेश निम्नानुसार हैं :

❑ यूसीबी उनके निदेशकों या उनके रिश्तेदारों या उन फर्मों / कंपनियों / प्रतिष्ठानों जिनमें उनके निदेशक या निदेशक के रिश्तेदार रुचि रखते हैं को, अथवा उनकी ओर से, कोई भी ऋण व अग्रिम अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेंगे।

❑ निदेशक या उनके रिश्तेदार या वे फर्म / कंपनियां / प्रतिष्ठान जिनमें निदेशक या उनके रिश्तेदार रुचि रखते हैं, यूसीबी द्वारा स्वीकृत ऋण व अग्रिम अथवा किसी अन्य वित्तीय सहायता के लिए ज़मानतदार/गारंटीकार भी नहीं बनेंगे।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफ़सी में निवेश

रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2021 को एनबीएफ़सी और आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को सूचित किया कि एक क्षेत्राधिकार, जिसका नाम वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफ़एटीएफ़) के प्रकाशनों की सूची में नहीं आता है, को एफ़एटीएफ़ सुनम्य क्षेत्राधिकार के रूप में संदर्भित किया जाएगा। एफएटीएफ गैर-सुनम्य क्षेत्राधिकारों से एनबीएफसी में निवेश को सुनम्य क्षेत्राधिकारों के रूप में नहीं समझा जाएगा। वर्तमान एनबीएफ़सी में निवेशक जो एफ़एटीएफ़ गैर-सुनम्य के रूप में स्रोत या मध्यवर्ती क्षेत्राधिकार/रों के वर्गीकरण से पहले अपने निवेश को धारित

किया है, वे निवेश के साथ जारी रह सकते हैं या मौजूदा विनियमों के अनुसार अतिरिक्त निवेश ला सकते हैं ताकि भारत में व्यापार की निरंतरता का समर्थन किया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एचएफसी निदेश, 2021

रिज़र्व बैंक को देश के लाभ के लिए वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने और किसी भी आवास वित्त कंपनी (एचएफ़सी) के कार्यों को, निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित की हानि के विरुद्ध आयोजित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 17 फरवरी 2021 को, मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 जारी किया। ये निदेश एचएफसी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात, जोखिम प्रबंधन, आस्ति वर्गीकरण और ऋण-से-मूल्य अनुपात के रखरखाव को शामिल करेंगे। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

III. पर्यवेक्षण

एनबीएफसी / यूसीबी में आरबीआईए

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2021 को जमा स्वीकार करने वाले सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफ़सी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार वाले जमा स्वीकार न करने वाले सभी एनबीएफ़सी (कोर निवेश कंपनियों सहित), ₹500 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार वाले सभी प्राथमिक यूसीबी को शामिल करते हुए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) संबंधी एक परिपत्र जारी किया। परिपत्र का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, एक मजबूत आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को उपलब्ध कराना है, जिसमें पर्याप्त प्राधिकार, महता, स्वतंत्रता, संसाधन और पेशेवर क्षमता शामिल हैं, ताकि इन अपेक्षाओं को बृहद एनबीएफ़सी/यूसीबी में संरेखित किया जा सके, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी निर्धारित है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2021 को "डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश" प्रकाशित किया। मास्टर निदेश विनियमित संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले एनबीएफसी) के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करने और डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए सुरक्षा नियंत्रण के सामान्य न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करता है। उक्त दिशानिर्देश प्रौद्योगिकी और प्लेटफार्म ऐग्नास्टिक हैं और ग्राहकों के लिए अधिक सुरक्षित और सक्षम तरीके से डिजिटल भुगतान उत्पादों का उपयोग करने के लिए एक परिष्कृत और सक्षम वातावरण बनाएंगे। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई की समय-सीमा में विस्तार

कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2021 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए आवेदन की समयावधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

V. विदेशी मुद्रा

डेरिवेटिव संविदाओं के लिए मार्जिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2021 को सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों (एडी श्रेणी-I बैंकों) को निम्नलिखित निदेश जारी किए थे कि वे भारत के निवासी किसी व्यक्ति और भारत से बाहर के किसी व्यक्ति के बीच अनुमत डेरिवेटिव संविदाओं के करारों हेतु मार्जिन की पोस्टिंग और संग्रह की अनुमति दें :

i) सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अपने खाते में या अपने ग्राहकों की तरफ से, भारत से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ अनुमत डेरिवेटिव संविदाओं के लिए हुए करारों के लिए भारतीय मुद्रा; मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा; भारत की केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां; भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा जारी रुपया बॉन्ड जो भारत में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध हों; और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत रेटिंग एजेन्सी द्वारा एएए क्रेडिट रेटिंग दी गई हो, के रूप में भारत में मार्जिन को पोस्ट और संग्रह कर सकते हैं। यदि दो या अधिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने अलग-अलग रेटिंग दी हो तो न्यूनतम रेटिंग को स्वीकार्य किया जाएगा।

ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऐसी मार्जिन को भारत के बाहर मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुदा के रूप में पोस्ट और संग्रह कर सकते हैं: और विदेशी संप्रभु सरकारों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें एसएन्डपी ग्लोबल रेटिंग्स / फिच रेटिंग्स से एए- और इससे उच्च या मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस से एए3 और इससे उच्च क्रेडिट रेटिंग मिली हो।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ अनुमत डेरिवेटिव संविदा हेतु अपने खाते में या अपने ग्राहकों की तरफ से पोस्ट और संग्रह किए गए मार्जिन पर ब्याज को प्राप्त और ब्याज का भुगतान कर सकते हैं।

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में नकद मार्जिन की पोस्टिंग और संग्रहण हेतु और इससे संबंधित लेनदेन हेतु भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नाम से एक अलग खाता रखेंगे।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

एलआरएस के तहत आईएफ़एससी में विप्रेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 फरवरी 2021 को निवासी व्यक्तियों को उदारीकृत विप्रेशन योजना (एलआरएस) के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अंतर्गत भारत में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफ़एससी) में विप्रेषण करने की अनुमति देने का निर्णय किया। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निवासी व्यक्तियों को एलआरएस के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में स्थित आईएफ़एससी में विप्रेषण करने की अनुमति दे सकते हैं :

i) आईएफ़एससी में केवल ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए ही विप्रेषण किया जाए, जो भारत में निवासी संस्थाओं/ कंपनियों (आईएफ़एससी से बाहर की) द्वारा जारी प्रतिभूतियों से भिन्न हो।

ii) निवासी व्यक्ति एलआरएस के तहत ऊपर उल्लिखित अनुमत

निवेश हेतु आईएफ़एससी में ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाता (एफ़सीए) भी खोल सकता है।

iii) निवासी व्यक्ति आईएफ़एससी में धारित इन एफ़सीए के जरिए अन्य निवासियों के साथ कोई घरेलू लेनदेन नहीं करेंगे।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, ऐसे विप्रेषणों को अनुमति देते समय, योजना के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं सहित अन्य सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VI. वित्तीय बाजार

ड्राफ्ट ऋण डेरिवेटिव निदेश, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 फरवरी 2021 को ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण डेरिवेटिव) निदेश, 2021 जारी किया। ये निदेश ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बाजारों में और भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए ऋण डेरिवेटिव लेनदेन पर लागू होंगे। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट निदेश पर टिप्पणियाँ 15 मार्च 2021 तक आमंत्रित की गई हैं। ड्राफ्ट निदेश पर प्रतिक्रियाएं मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, को प्रेषित की जा सकती है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VII. वित्तीय समावेशन

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021

रिज़र्व बैंक ने 8 से 12 फरवरी 2021 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) मनाया। वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए "ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण " विषय चुना गया है। यह विषय वित्तीय शिक्षण 2020-2025 के लिए राष्ट्रीय रणनीति के कार्यनीति उद्देश्यों में से एक है। इसका फोकस ए) जिम्मेदार उधारी; बी) औपचारिक संस्थानों से उधार लेना और सी) समय पर पुनर्भुगतान पर था।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान, बैंकों को सूचित किया गया कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करें। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने आम जनता के लिए आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए फरवरी 2021 के महीने के दौरान एक केंद्रीकृत मास मीडिया अभियान चलाया। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VIII. रिपोर्ट

मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2021 को वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट जारी किया । रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष मार्च 2021 तक मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा के संदर्भ में सामयिक प्रासंगिकता को शामिल किया गया है, जिसने कई केंद्रीय बैंकों को नीतिगत रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- ❑ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को लक्षित मुद्रास्फीति ने आम तौर पर अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को कम कर दिया है और सहनशीलता बैंड को संकुचित कर दिया है।
- ❑ समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति का औसत भारत में मुद्रास्फीति की अस्थिरता में गिरावट के साथ 3.9 प्रतिशत रही, जोकि अपने प्राथमिक जनादेश के संदर्भ में एफ़आईटी की सफलता को प्रमाणित कर रहा है।
- ❑ ट्रेंड मुद्रास्फीति, जिसकी ओर वास्तविक मुद्रास्फीति एक झटके के बाद अभिमुख होती है, मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एक उपयुक्त बेंचमार्क प्रदान करती है; ट्रेंड मुद्रास्फीति एफआईटी के पूर्व 9 प्रतिशत ऊपर से गिरकर एफ़आईटी के दौरान 3.8 से 4.3 प्रतिशत की सीमा के बीच रही, जो यह दर्शाता है कि भारत के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 प्रतिशत उपयुक्त स्तर है।
- ❑ अधिकतम मुद्रास्फीति जिसके ऊपर वृद्धि सुस्पष्ट रूप से रुक जाती है, भारत में उसका रेंज़ 5 से 6 प्रतिशत के बीच है, यह दर्शाता है कि 6% की मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए उपयुक्त ऊपरी सहनशीलता सीमा है।
- ❑ मूल्य स्थिरता को परिभाषित करने के लिए वर्तमान संख्यात्मक ढांचा, अर्थात्, +/- 2 प्रतिशत सहिष्णुता बैंड के साथ 4 प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य, अगले पांच वर्षों के लिए उपयुक्त है।
- ❑ एफआईटी अवधि के दौरान, मुद्रा बाजार में मौद्रिक संचरण पूर्ण और यथोचित रूप से तेज रहा है, लेकिन बांड बाजारों में पूर्ण से कम रहा।
- ❑ एक खुली अर्थव्यवस्था सेटिंग में मौद्रिक नीति के संचालन में, विदेशी मुद्रा भंडार और संबंधित चलनिधि प्रबंधन प्रमुख हैं; इसलिए, पूंजी प्रवाह में वृद्धि से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक की वंध्यीकरण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- ❑ मूल्य स्थिरता पर एफआईटी का प्राथमिक ध्यान पूंजी खाते के आगे के उदारीकरण और भारतीय रुपये के संभव अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अच्छा है।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 फरवरी 2021 को "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना (ओएसएनबीएफसी) और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) के तहत गतिविधियों; उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में गतिविधियां एवं आगे की राह को शामिल किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट के कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं :

- ❑ तीन लोकपाल योजनाओं के तहत शिकायतों की प्राप्ति में 64.97% की वृद्धि हुई, जिसमें शिकायतों की संख्या 2018-19 में 2,00,362 से बढ़कर 2019-20 में 3,30,543 हो गयी। इनमें से, 86.19% इलेक्ट्रॉनिक रूप, अर्थात् सीएमएस ऑनलाइन पोर्टल और ईमेल के माध्यम से प्राप्त किए गए थे।
- ❑ शिकायतों की प्राप्ति में वृद्धि के बावजूद, 92% से अधिक शिकायतों का निपटान किया गया। अनुरक्षणीय शिकायतों का 72.27%, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से निपटाया गया था।
- ❑ प्राप्त शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण किया गया था ताकि प्रमुख चिंताओं, प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करने और चिंताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपायों को तैयार किया जा सके।
- ❑ तीन लोकपाल योजनाओं को विलय और एकल योजना में एकीकृत किया जा रहा है, जिसे जून 2021 से आरंभ किया जाएगा।

अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।